

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०२०.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२० है। संक्षिप्त नाम.

भाग—एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-के में उपधारा (१) में, शब्द “तीन प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का
संशोधन.

भाग—दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) में, शब्द “तीन प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का
संशोधन.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १० सन् २०२०) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन तथा
व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरीय क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के संव्यवहारों पर संदाय की जाने वाली स्टांप शुल्क पर ३ प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप इयूटी के अधिरोपण का उपबंध करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३३-के और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १६१ में संशोधन प्रस्तावित है।

२. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया था कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है जो विक्रय पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क (५ प्रतिशत) का ६० प्रतिशत बनता है किन्तु कुछ मामलों में जैसे परिवार में दान की लिखत पर देय अतिरिक्त शुल्क इस पर देय स्टाम्प शुल्क (२.५ प्रतिशत) का १२० प्रतिशत बनता है जो युक्तिसंगत नहीं है।

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १० सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपालः

तारीख १६ सितम्बर, २०२०।

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक खण्ड-२ तथा ३ द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल संपत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

नगरीय क्षेत्रों में अचल संपत्ति के संव्यवहारों पर संदाय की जाने वाली स्टाम्प शुल्क पर ३ प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प इयूटी के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया था कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल संपत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है जो विक्रय पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क (५ प्रतिशत) का ६० प्रतिशत बनता है किन्तु कुछ मामलों में जैसे परिवार में दान की लिखत पर देय अतिरिक्त शुल्क इस पर देय स्टाम्प शुल्क (२.५ प्रतिशत) का १२० प्रतिशत बनता है जो युक्तिसंगत नहीं है। जिस कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका एवं नगरपालिका विधियों में संशोधन किया जाना आवश्यक था।

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश २०२० (क्रमांक १० सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरणः

भाग—एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

* * * *

धारा १३३-क (१) “भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ (१८९९ का सं. २) द्वारा स्थावर संपत्ति क्रमशः विक्रय, दान तथा भोग बंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में, उन लिखतों की दशा में, जो किसी निगम की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध ऐसी सीमाओं को लागू किए जाते हैं, ऐसी स्थित संपत्ति के मूल्य पर या भोग बंधक की दशा में, लिखत द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर, जो लिखत में उपवर्णित है, तीन प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिये गये ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जायेगा।”

* * * *

भाग—दो

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१

* * * *

धारा १६१ (१) “भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) द्वारा स्थावर संपत्ति के क्रमशः विक्रय, दान तथा भोगबंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में, उन लिखतों की दशा में, जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध उस नगर पालिका में प्रवृत्त होते हैं, ऐसी स्थित संपत्ति के मूल्य पर, या भोगबंधक की दशा में, लिखत द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर जो लिखत में उपवर्णित है, तीन प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं की क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जायेगा।—

परंतु इसमें की कोई भी बात ऐसी संपत्ति के अंतरण की दशा में लागू नहीं होगी जहां इस प्रकार अंतरित संपत्ति का मूल्य या भोगबंध की दशा में, इस प्रकार प्रतिभूत रकम, दो हजार रुपये से अधिक न हो।”

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।